



E-

क्रमांक:- एफ.24(NOC25-26)/बी.एड/आकाशि/2025

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

आदेश

पी.टी.ई.टी. प्रवेश काउंसलिंग सत्र 2025-26 की कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा, नोडल एजेंसी पी.टी.ई.टी. कार्यालय को भेजी गई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची में निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेशों के अनुक्रम में निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा किये जाते हैं:-

क्र. सं.	विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व में संस्था का नाम	संशोधित नाम	पाठ्यक्रम
1.	एफ.24(NOC25-26)/ बी.एड/आकाशि/2025/ दिनांक : 26.04.2025 S.No. 592	Aravali T T College	Aravali College of Teacher Traininig	B.Ed. (2 year)
2.	एफ.24(NOC25-26)/ बी.एड/आकाशि/2025/ दिनांक : 03.07.2025 S.No. 124	Mohini devi Goenka Girls T T College	Mohini devi Goenka Girls B.Ed. College	B.Ed. (2 year)
3.	एफ.24(NOC25-26)/ बी.एड/आकाशि/2025/ दिनांक : 26.04.2025 S.No. 433	Rajasthan College of Teacher Training Education	Rajasthan College of Teacher Training	B.Ed. (2 year)
4.	एफ.24(NOC25-26)/ बी.एड/आकाशि/2025/ दिनांक : 26.04.2025 S.No. 392	Shri Govind T T College	Shri Govind Shikshak Prashikshan mahavidyalaya	B.Ed. (2 year)

उक्त आदेश आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
4. समन्वयक, पी.टी.ई.टी. 2025, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. रजिस्ट्रार, संबंधित विश्वविद्यालय।
6. सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्थान/महाविद्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

